THE GOVT.OF INDIA ACT -1935 (Part-1)

FOR: U.G.PART-3 PAPER-6

BY:ARUN KUMAR RAI
ASST.PROFESSOR
P.G.DEPT.OF HISTORY
MAHARAJA COLLEGE
ARA.

भूमिका

भारत सरकार अधिनियम 1935, उत्तरदायी शासन की दिशा में 1919 के अधिनियम के पश्चात दूसरा महत्वपूर्ण कदम था। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद के इतिहास में **सबसे बड़ा एवं जटिल प्रलेख** था जिसमें **14 भाग ,321 धाराएं** तथा **10 अनुसूचियाँ** शामिल थी। यह साम्राज्यवादी सरकार द्वारा बनाया गया अंतिम संवैधानिक दस्तावेज था। इसमें अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रस्ताव था।

भूमिका

इस अधिनियम के तहत केंद्र में **द्वैध शासन** की स्थापना की जानी थी एवं **प्रांतों** को **स्वायत्तता** देना था। यह साम्राज्यवादी शासन द्वारा बनाया गया अंतिम महत्वपूर्ण संवैधानिक दस्तावेज था । भारत के सभी राजनीतिक दलों ने इसे अस्वीकार किया क्योंकि इसमें पूर्ण स्वतंत्रता को नकारा गया था।

पृष्ठभूमि

कांग्रेस ने 1919 के अधिनियम को **अपर्याप्त**, **असंतोष जनक** तथा **निराशाजनक** कहकर खारिज खारिज कर दिया था। भारत में राष्ट्रवादी नेताओं द्वारा संवैधानिक सुधारों की मांग उठने लगी। ब्रिटिश सरकार ने 1919 के एक्ट को पारित करते समय 10 वर्ष के पश्चात इसकी समीक्षा की बात कही थी परंतु उन्होंने **नवंबर 1927** में ही एक आयोग **सर जान साइमन** की अध्यक्षता में इसकी समीक्षा के लिए गठित कर दिया जिस के सभी सदस्य अंग्रेज थे।

साइमन कमीशन

अध्यक्ष जॉन साइमन ने भारत भ्रमण कर प्रस्तावित सुधारों की जांच पड़ताल की और 1930 में अपनी रिपोर्ट सौंपी । साइमन आयोग ने द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त करने तथा विधान मंडलों के प्रति उत्तरदाई मंत्रियों को प्रांतीय सरकारें सौंपने की सिफारिश की। इसने केंद्र में एक संघीय अर्थात बेहतर भारतीय संघ जैसे ढांचे की सिफारिश की जिसमें ब्रिटिश भारत और रजवाड़ों का प्रतिनिधित्व हो सके। इसकी सिफारिशों पर संसद की एक संयुक्त प्रवर समिति ने भी विचार किया।

स्वराज दल की भूमिका

- स्वराज दल के गठन का एकमात्र उद्देश्य 1919 के सुधारों के विरोध से जुड़ा था। चितरंजन दास एंव मोतीलाल नेहरू का एकमात्र उद्धेश्य विधानमंडल में प्रवेश कर संवैधानिक प्रक्रिया में रोड़े अटकाने का था। फरवरी 1924 में केंद्रीय विधानसभा में एक गोलमेज सम्मेलन बुलाने की मांग रखी जिसमें उत्तरदाई सरकार लाने के उद्देश्य से विचार विमर्श किया जा सके। द्वैध शासन को असफल बनाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही हैं। इसने 1919 के अधिनियम में आवश्यक बदलाव की पृष्ठभूमि तैयार कीं ।

नेहरू समिति की रिपोर्ट

- मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में सर्वदलीय विचार विमर्श के पश्चात अगस्त 1928 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसने भारतीय संविधान का सर्व अनुमोदित रूप प्रस्तुत किया ।प्रस्तुत रिपोर्ट को मोहम्मद जिन्ना ने खारिज करते हुए अपनी प्रसिद्ध 14 सूत्रीय मांगे रखी ।इस रिपोर्ट की असफलता के बावजूद ब्रिटिश सरकार ने अनुभव किया कि भारत के संविधान की मांगों को ज्यादा देर तक टाला नहीं जा सकता।

वामपंथी लहर

- देश में इस समय वामपंथी दल प्रभावशाली ढंग से उभर रहा था जिसका नेतृत्व जवाहरलाल जैसे राष्ट्रवादी के हाथों में था। इनका मानना था कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट का यह दौर क्रांतिकारी आंदोलन के लिए उपयुक्त है एवं जनता संघर्ष के लिए तत्पर है। नेहरू जी का विचार था कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आज इस अवस्था में पहुंच गया है जहां हमें औपनिवेशिक सत्ता से तब तक लगातार संघर्ष करते रहना होगा जब तक कि हम उसे उखाड़ फेंकने में कामयाब ना हो जाए ।

गोलमेज सम्मेलन की विफलता

- लार्ड इरविन ने अक्टूबर 1929 में घोषणा में कहा कि लंदन में गोलमेज सम्मेलन द्वारा भारतीय राजनीतिक मत के विभिन्न दृष्टिकोण की जानकारी प्राप्त कर लेबर सरकार नया संविधान बनाएगी ।1930,1931,1932 ई. में क्रमशः तीन गोलमेज सम्मेलन आयोजित किये गये लेकिन इन सम्मेलनों का कोई परिणाम नहीं निकला। गोलमेज सम्मेलनों में हुए वाद विवाद के आधार पर 1 मार्च 1933 को ब्रिटिश सरकार ने

गोलमेज सम्मेलन की विफलता

श्वेत पत्र प्रकाशित किया जिसका नाम **भारतीय संविधान सुधारों के बारे में सुझाव** रखा गया। ब्रिटिश संसद के दोनों सदनों की **संयुक्त समिति** (लॉर्ड लिनलिथगो सभापति)ने भारत के भविष्य पर विचार करते हुए **अक्टूबर 1934** में रिपोर्ट प्रस्तुत की। यह रिपोर्ट एवं श्वेत पत्र भारत सरकार अधिनियम 1935 का आधार बनी।

ऐक्ट का आधार

भारत सरकार अधिनियम निम्न अनुशंसा के आलोक में बनाया गया-

1. साइमन आयोग की रिपोर्ट
2. नेहरू समिति रिपोर्ट
3. गोलमेज सम्मेलन की अनुशंसा
4. ब्रिटिश सरकार द्वारा 1933 में प्रकाशित श्वेत पत्र
5. ब्रिटिश संसद की संयुक्त प्रवर समिति की रिपोर्ट

मुख्य प्रावधान

- **संघीय ढांचा का निर्माण**(The Federal structure)- 1935 के अधिनियम के तहत भारत के लिए एक संघीय योजना प्रस्तावित की गई। इस संघ का गठन ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और देसी रियासतों को मिलाकर किया जाना था। 1935 में ब्रिटिश प्रांतों की संख्या 11 थी । यह प्रांत थे- मद्रास, बम्बई, बंगाल, संयुक्त प्रांत,पंजाब, बिहार ,उड़ीसा ,मध्य प्रांत ,असम, उत्तर-पश्चिमी सीमा प्रांत और सिंध। साथ ही 6 चीफ कमिश्नर के क्षेत्र भी इसमें शामिल होने थे।

संघीय ढांचे का निर्माण

- ब्रिटिश प्रांतों के लिए संघ में शामिल होना अनिवार्य था जबकि देशी रियासतों के लिए यह ऐच्छिक। प्रत्येक देसी रियासत जो संघ में शामिल होना चाहती थी उसे इसके लिए **स्वीकृति संधि लेख (Instrument of Accession)**पर हस्ताक्षर करना आवश्यक था। लगभग 600 देसी राज्यों में से कम से कम संघ निर्माण हेतु आधे राज्यों का अधिमिलन आवश्यक था।

संघीय ढांचे का निर्माण

असेम्बली में 375 सदस्यों में से 125 तथा दूसरे सदन काउंसिल ऑफ स्टेट के 260 में से 104 सदस्य देशी रियासतों से लिए जाने थे। संघ में शामिल होना देशी रियासतों की निर्धारित संख्या ने स्वीकार नहीं किया अतः अधिनियम द्वारा प्रस्तावित भारतीय संघ योजना आकार नहीं ले सकी।

विषयों का वर्गीकरण

संपूर्ण विषयों को तीन भागों में बांटा गया-

1. संघीय सूची- 59 विषय
2. प्रांतीय सूची- 54 विषय
3. समवर्ती सूची- 36 विषय

संघीय या केंद्रीय सूची को दो भागों में बांटा गया- आरक्षित एवं हस्तांतरित।

विषयों का वर्गीकरण

- प्रतिरक्षा ,विदेशी मामले, धार्मिक मामले(ईसाई धर्म) कबायली क्षेत्र आरक्षित विषय थे जबकि मुद्रा, डाक ,तार, रेल, रेडियो ,वायरलेस आदि हस्तांतरित विषय थे।

To be continued .....